

पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

क./पु.मु./क.कक्ष/टी-4/ 382/ 09
प्रति,

दिनांक 18-3-09

**पुलिस अधीक्षक
बालाघाट**

विषय:- नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का एस.आर.ई. योजना के तहत बीमा कराने बाबत।

संदर्भ:- पुलिस मुख्यालय का पत्र क्रमांक 04.11.08 एवं आपका पत्र क्रमांक 1433 दिनांक 18.12.08

—0—

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिला बालाघाट में पदस्थ आरक्षक से पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों /SPOs का बीमा भारत सरकार की एस.आर.ई. योजना के अंतर्गत कराये जाने हेतु जिले में पदस्थ पुलिस बल की संख्या आपसे मांगी गई थी। आपके द्वारा यह संख्या 3565 बताई गई है।

गत वर्ष इस योजना के अंतर्गत कराये गये बीमा की अवधि 7.03.09 को समाप्त होने के बाद निर्धारित प्रक्रियानुसार एक वर्ष के लिये पुनः कुल 3565 पुलिस अधि./कर्म. का बीमा दि आरियेंटल इश्योरेंस कंपनी से करा दिया गया है। इसकी अवधि 07.03.2009 से 06.03.2010 की रात्री 12:00 बजे तक है। इस वर्ष कराये गये बीमा के प्रावधान निम्नानुसार रहेंगे।

श्रेणी ए- नक्सली गतिविधियों में दुर्घटना :-

क	घटना का प्रकार	दि ओरियेन्टल इश्योरेंस कंपनी लि.मि., डिवीजनल ओफिस-2 चित्तौड काम्पलेक्स एम. पी. नगर, जोन-1 भोपाल (म.प्र.)
		बीमित राशि
1	मृत्यु	10 लाख
2	हाथ पैर की पूर्ण क्षति होने पर, दोनों आंखों या एक हाथ पैर और एक आंख	10 लाख
3	एक हाथ/पैर के साथ एक या दोनों आंखों की क्षति होने पर	10 लाख
4	दोनों हाथों की क्षति होने पर	10 लाख
5	दोनों पैर की क्षति होने पर	10 लाख
6	एक हाथ/पैर की क्षति होने पर या एक आंख की क्षति होने पर	05 लाख
7	उपरोक्त के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की चोट से उत्पन्न स्थाई अपंगता	10 लाख
8	शरीर के किसी हिस्से में चोट आने से उत्पन्न हुई 10 प्रतिशत अपंगता	2 लाख 50 हजार
9	नक्सल गतिविधियों के कारण हुई घटना में घायल होने पर अस्पताल में	अधिकतम 2 लाख 50 हजार

10	मृत्यु के प्रकरण में आश्रित की संतानों को शिक्षा क्षतिपूर्ति सहायता राशि	50 हजार प्रति संतान
11	प्रत्येक दुर्घटना के प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि	अधिकतम प्रति प्रकरण 2.5 करोड़
12	मृत्यु के प्रकरण में शव को उसके निवास स्थान तक पहुंचाने का व्यय एवं अंतिम संस्कार का व्यय	10 हजार

श्रेणी बी- गैर नक्सली गतिविधियों के कारण दुर्घटना :-

क	घटना का प्रकार	दि ओरियेन्टल इश्योरेन्स कंपनी, एम. पी. नगर भोपाल बीमित राशि
1	मृत्यु	04 लाख
2	हाथ पैर की पूर्ण क्षति होने पर, दोनों आंखों या एक हाथ पैर और एक आंख	04 लाख
3	एक हाथ/पैर के साथ एक या दोनों आंखों की क्षति होने पर	04 लाख
4	दोनों हाथों की क्षति होने पर	04 लाख
5	दोनों पैर की क्षति होने पर	04 लाख
6	एक हाथ/पैर की क्षति होने पर या एक आंख की क्षति होने पर	02 लाख
7	उपरोक्त के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की चोट से उत्पन्न स्थाई अपंगता	04 लाख
8	शरीर के किसी हिस्से में चोट आने से उत्पन्न हुई 10 प्रतिशत अपंगता	01 लाख
9	गैर नक्सली घटना में घायल होने पर अस्पताल में इलाज	01 लाख
10	मृत्यु के प्रकरण में आश्रित की संतानों को शिक्षा क्षतिपूर्ति सहायता राशि	15 हजार प्रति संतान
11	प्रत्येक दुर्घटना के प्रकरण में क्षतिपूर्ति राशि	01 करोड़
12	मृत्यु के प्रकरण में शव को उसके निवास स्थान तक पहुंचाने का व्यय एवं अंतिम संस्कार का व्यय	05 हजार

श्रेणी सी- अन्य बीमारियों के लिये बीमा लाभ :-

क		दि ओरियेन्टल इश्योरेन्स कंपनी, एम. पी. नगर भोपाल
1	रीनल फेल्योर किडनी ट्रांसप्लांट एवं	

3	ओपन एवं क्लोज हार्ट सर्जरी, एन्जियोप्लास्ट्री एंजियो ग्राफी सहित	बीमारियों का (ग्रुप मेडिकलेम) बीमा कराये जाने पर 02 लाख रुपये अधिकतम (प्रत्येक बीमारी)
4	मेलिग्नेसी डिस्जीज जो हिमोपेथोलॉजीकल रिपोर्ट से कन्फर्म हो	
5	न्यूरोसर्जरी	
6	जोड़ों का संपूर्ण रिप्लेसमेंट	
7	गम्भीर चोट मल्टीपल फ्रैक्चर सहित	
8	हेड इन्जुरी जिसमें मरीज अचेत हो	
9	20 प्रतिशत से अधिक की बर्न इंजुरी जिसमें आर्टिफिशियल वेंटीलेटर सपोर्ट दिया गया हो	
10	वर्टीब्रल कॉलम की चोट	
11	हिस्ट्रिकोटॉमी फार मेनोरेनिया या फाइब्रोमेयोमा	
12	गालब्लेडर स्टोन	
13	सिरोसिस लिवर	
14	किडनी स्टोन	
15	मेनिनजाईटिस तथा मलेरिया से बढ़ा हुआ ऐसा बुखार जैसे ब्रेन फीवर	
16	स्नेक बाईट (सर्प दंश)	
17	ज्वाइंडिस (पीलिया)	
18	मलेरिया फेल्सीफेरम	

बीमारी की दशा में न्यूनतम 24 घंटे तथा अस्ताल में भर्ती रहकर इलाज कराने पर ही क्लेम की पात्रता बनती है।

बीमा राशि कैसे प्राप्त करें :-

- (1) उपरोक्त तीनों प्रकार का बीमा दि ओरियेन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.मि., मंडल कार्यालय क्रमांक-2, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स एम.पी. नगर जोन -1, भोपाल से करवाया गया है । उपरोक्त तीनों योजनाओं के अंतर्गत यदि कोई प्रकरण भविष्य में बनता है तो सर्वप्रथम बीमा कंपनी को टेलीफोन नं. 0755-2553638 पर तथा ईमेल पता- 152800@orientalinsurance.co.in पर दावे की सूचना बीमा कंपनी को तत्काल देवें जिसकी एक प्रति सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) पु.मु., भोपाल की ओर भी अनिवार्य रूप से भेजी जावे।
- (2) श्री पी.वी.के राजु, सहायक प्रबंधक, दि ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी से मोबाईल नं. 9425037705 पर भी दावे से संबंधित किसी भी समस्या हेतु संपर्क किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त तीनों योजनाओं के अंतर्गत यदि कोई क्लेम प्रकरण भविष्य में बनता है तो निम्न बिन्दुओं की पूर्ती कर दस्तावेज तैयार कर स.म.नि.(कल्याण) पु.मु. को यथाशीघ्र भिजवायें।
 - (A) विस्तृत विवरण (घटना/बीमारी का विवरण)
 - (B) एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि (यदि हो तो)
 - (C) रोजनामचा रिपोर्ट, (रवानगी/वापसी अथवा अन्य)
 - (D) मेडिकल रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज
 - (E) ग्रुप मेडिकल क्लेम हेतु संलग्न क्लेम फार्म पर क्लेमकर्ता के हस्ताक्षर

(G) हास्पिटल रिक्वैरमेंट प्रमाण पत्र (Hospital requirement certificate)

(H) डिस्चार्ज सर्टिफिकेट

(I) सभी मूल केशमेमो/फार्मसी बिल/हास्पिटल बिल

(J) सदस्यों की भेजी गई सूची में क्लेमकर्ता का सीरियल नं.

- (4) उपरोक्त तीनों योजनाओं के बारे में अपने समस्त संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को पूर्ण जानकारी प्रदान की जावे। जिले में नक्सली घटना के कारण एवं गैर नक्सली दुर्घटना के कारण यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की मृत्यु होती है या घायल होता है या उपरोक्त दर्शाई गई बीमारियों से ग्रसित होता है और इलाज कराता है तो उसका प्रकरण ऊपर दिये गये निर्देशों के अनुसार उपरोक्तानुसार शीघ्र तैयार कराकर ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी को अवगत कराया जावे एवं विवरण सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) की ओर भिजवायें। यदि टेलीफोन/फैक्स पर संपर्क करना हो तो दूरभाष/फैक्स क्र. 0755-2443515 तथा ईमेल digwel_admin@mppolice.gov.in. पर भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया इस पत्र की समुचित प्रतियां कराकर सभी थाना/चौकी/कैम्प/SAF एवं CRPF वाहिनी/पोस्ट पर पहुंचवाने तथा सभी लाभार्थी कर्मियों को सूचित कराने की व्यवस्था करें।
- (5) यदि आपके द्वारा पूर्व में सूचित सूची के कुछ कर्मचारियों के नाम अब हट/बढ़ गये हों तो उनकी सूचना तुरन्त भिजवायी जावे ताकि उन्हें भी बीमा योजना में शामिल किया जा सके।

संलग्न-क्लेम फार्म का नमूना

(क. बी. शर्मा)

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)
हेतु- पुलिस महानिदेशक
मध्यप्रदेश भोपाल

प्रतिलिपि:- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशासन/गुप्तवार्ता, योजना/प्रबंध पु.मु. भोपाल।
2. पुलिस महानिरीक्षक योजना/सुरक्षा/गुप्तवार्ता, पु.मु. भोपाल।
3. पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज, म.प्र.।
4. सेनानी 6वीं/8वीं/35वीं वाहिनी
5. वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक दि-ओरियेन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मण्डल कार्यालय, क-2 चित्तौड़ काम्पलेक्स, एम.पी. नगर जोन-1, भोपाल (संलग्न-सूचियां)- कृपया बीमा के संबंध में यदि कोई अन्य जानकारी या दस्तावेज प्राप्त करना हो तो पुलिस अधीक्षक बालाघाट से टेलीफोन नं 07632-240021, फैक्स 240006 एवं ईमेल sp_balaghat@mppolice.gov.in पुलिस अधीक्षक बालाघाट म.प्र. के पते पर पत्र व्यवहार कर 24 घंटे के अंदर क्लेम दिलाये जाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं प्रतिलिपि से इस कार्यालय को अवगत करावें।
6. उप पुलिस अधीक्षक (कल्याण)/अधीक्षक (कल्याण), पु.मु. भोपाल।
7. पुलिस महानिरीक्षक एस.सी.आर.बी. की ओर कृपया कल्याणकारी गतिविधियों के संबंध में इंटरनेट वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु।

(क. बी. शर्मा)

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण)